न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :श्री पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 172 सन 2023

अनवान :–

1. सदीक खां पुत्र फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. गुडडी देवी पत्नी फकीरचन्द जाति जाट निवासी देईदास हाल चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

सायलान

बनाम

1. गायत्री पत्नी महेन्द्र सिह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर
2. सरस्वती पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता सायल
श्री हवासिह पूनिया गैरसायल संख्या

निर्णय दिनांक :– 29/02/2024

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने विरूद्ध गैर सायलान प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 690/692 की कुल 9.3960हैक भूमि में सायल संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की संयुक्त खाता में दर्ज रिकार्ड है तथा खाता संख्या 332/341 की कुल 3.7950हैक भूमि सायला संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की मुश्तरका खाता में भूमि दर्ज है उक्त भूमि में सायलान व तरतीबी प्रतिवादीया संख्या 3 ता 8 सयुक्त खाता की खातेदारी भूमि है जिस पर हम 50 वर्षो से काश्त करते आ रहे है तथा गैरसायल संख्या 1 ,2 जो कि उची पहूच वाले है जो कि आये दिन सायलान को तंग परेशान करते रहते है सायलान व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के कब्जा काश्त की भूमि में प्रवेश कर सीव डोल को तोडकर फसल बर्वाद करना चाहते है सायलान व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 की भूमि में कब्जा करके खेत में दखल देना चाहते है यदि गैरसायल संख्या 1 ,2 अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी इसलिये सायलान गैरसायल संख्या 1 ,2 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 690/692 की कुल 6.3960हैक व खाता संख्या 332/341 की कुल 3.7950हैक भूमि में प्रवेश ना करे जबरिया कब्जा करने की योजना को त्याग दे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल न0 1 , 2 की और से श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

रोही मौजा भुकरका की जमाबन्दी [illegible] 2070 ता 2073 के खाता संख्या 561/569 के खसरा संख्या 1038/798 की कुल 1.36[illegible] भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम एवं रोही मौजा भूकरका की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या [illegible]/561 के खसरा न0 1037/798 की 2.2770हक भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज है सायल संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी के खेत रोही मौजा भूकरका के खसरा न0 796 एव सायला संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण के खेत रोही मौजा भूकरका के खसरा संख्या 799/1 की भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:56:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

बीच में उतरदाता गैरसायल संख्या 1 ,2 की भूमि खसरा संख्या 1038/798 व 1037/798 पडती है जिसकी सीव तोड कर सायलान व तरतीबी प्रतिवादीगण उतरदाता गैरसायल संख्या 1 ,2 की भूमि में प्रेवश करना चाहते है एव आये दिन सीव के साथ छेडखानी करते है उतरादाता ने अपनी भूमि की पैमाईश करवानी चाही तब सायलान ने गलत तथ्य पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया एवं अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवायी है।

सायलान एव तरतीबी प्रतिवादीगण एवं उतरदाता की भूमि के बीच पुरानी सीव बनी हुई है उसके मुताबिक ही काबिज है उतरदाता ने अपनी भूमि की पैमाईश करवानी चाही तब सायलान ने गलत तथ्यों पेश कर वाद एव प्रार्थना पत्र पेश किय है जो चलने योग्य नही है सायलान स्वय झगडालु किस्म के व्यक्ति है जो स्थगन आदेश की आड में उतरदाता की पुरानी कब्जा काश्त की भूमि की सीव तोड कर उतरादाता के खते में घुसना चाहते है वाद भूमि के उतरदाता खातेदार काश्तकार है उनके खिलाफ किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायलान क्लीन हैण्डस से न्यायालय में नही आये है केवल लालचवंश उतरादाता को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

गैरसायलान का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

वकील सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 690/692 की कुल 9.3960हैक भूमि में सायल संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की संयुक्त खाता में दर्ज रिकार्ड है तथा खाता संख्या 332/341 की कुल 3.7950हैक भूमि सायला संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की मुश्तरका खाता में भूमि दर्ज है उक्त भूमि में सायलान व तरतीबी प्रतिवादीया संख्या 3 ता 8 सयुक्त खाता की खातेदारी भूमि है जिस पर हम 50 वर्षो से काश्त करते आ रहे है तथा गैरसायल संख्या 1 ,2 जो कि उची पहूच वाले है जो कि आये दिन सायलान को तंग परेशान करते रहते है सायलान व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के कब्जा काश्त की भूमि में प्रवेश कर सीव डोल को तोडकर फसल बर्वाद करना चाहते है सायलान व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 की भूमि में कब्जा करके खेत में दखल देना चाहते है यदि गैरसायल संख्या 1 ,2 अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी इसलिये सायलान गैरसायल संख्या 1 ,2 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील गैरसायल 1 ,2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भुकरका की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 561/569 के खसरा संख्या 1038/798 की कुल 1.3650हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम एवं रोही मौजा भूकरका की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 984/561 के खसरा न0 1037/798 की 2.2770हक भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज है सायल संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी के खेत रोही मौजा भूकरका के खसरा न0 796 एव सायला संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण के खेत रोही मौजा भूकरका के खसरा संख्या 799/1 की भूमि के बीच में उतरदाता गैरसायल संख्या 1 ,2 की भूमि खसरा संख्या 1038/798 व 1037/798 पडती है जिसकी सीव तोड कर सायलान व तरतीबी प्रतिवादीगण उतरदाता गैरसायल संख्या 1 ,2 की भूमि में प्रेवश करना चाहते है एव आये दिन सीव के साथ छेडखानी करते है उतरादाता ने अपनी भूमि की पैमाईश करवानी चाही तब सायलान ने गलत तथ्य पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया एवं अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवायी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:56:23 IST
Reason: SelfAttested

सायलान एव तरतीबी प्रतिवादीगण एवं उतरदाता की भूमि के बीच पुरानी सीव बनी हुई है उसके मुताबिक ही काबिज है उतरदाता ने अपनी भूमि की पैमाईश करवानी चाही तब सायलान ने गलत तथ्यों पेश कर वाद एव प्रार्थना पत्र पेश किय है जो चलने योग्य नही है वाद भूमि के उतरदाता खातेदार काश्तकार है उनके खिलाफ़ किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायलान क्लीन हैण्डस से न्यायालय में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

नही आये है केवल लालचवंश उतरादाता को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया सायलान वाद स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का पेश किया गया है सायलान स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है अथवा नही यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि सायलान एवं गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षों के पक्ष में पाया जाता है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उभयपक्ष बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने के कारण सयुक्त खाते की भूमि में उभयपक्षों का बराबर का हक हिस्सा है उभयपक्ष दोनो का ही कथन है कि गैरसायलान सायलान की भूमि में एवं सायलान गैरसायल की भूमि की सीव डोल तोडना चाहते है अर्थात उभयपक्ष एक दुसरे पर सीव डोल तोडने का कथन कर रहे है किन्तु किसी भी पक्षकार के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे सीव डोल तोडना साबित हो सके।

यहॉ यह उल्लेखनिय है कि गैरसायलान का कथन है सायलान ने भूमि की पैमाईश रूकवाने के लिये अस्थायी स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है।

मेरा मत है कि कोई भी पक्षकार अपने हक हिस्सा की भूमि की पैमाईश करवाने के लिये स्वतन्त्र है भूमि की पैमाईश करवाने से अपने अपने हक हिस्सा की भूमि की सीव डोल का ज्ञान हो जाता है जिससे यह नही कहा जा सकता की वह दुसरे की भूमि में प्रवेश कर रहा है या करना चाहता है भूमि की पैमाईश नही होने के कारण सूविधा का सन्तूलन एव अपूर्णीय क्षति गैरसायल को होनी पाई जाती है।

वर्तमान में भूमि सयुक्त खाते में उभयपक्षों के नाम दर्ज होने के कारण सही स्थिति तो खाता विभाजन होने के उपरान्त ही हो सकती है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान बतौर मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है मात्र कथनों के आधार पर किसी खातेदार काश्तकार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायलान की तुलना में गैरसायल के पक्ष में साबित होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाकर कार्यालय द्वारा दिनांक 10.07.2023 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त/अपास्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/02/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:56:23 IST
Reason: SelfAttested